

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम कोर्ट) कैम्प
 जयपुर जिले (रा) दिनांक 18/11/21
 -आदेश-

18/11/21

प्राची के "खाता गुरुवारी" प्रार्थना पत्र एवं परतारी की रिपोर्ट तथा सहसिलदार की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान राज्य अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम की जमाबन्दी सम्बन्ध में खाता संख्या में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जायेगी)
1	खानपुरा	415	218 3/4 बीघा	200 बीघा 3/4 (शुद्ध) 18 3/4 बीघा जमाबन्दी सम्बन्ध में प्रविष्टि का निर्यात हुआ

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जयपुर

क्रमांक :- 731-732

दिनांक :- 18/11/21

प्रतिलिपि :-

1. सहसिलदार को भेजकर देख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरमद सीध किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्राची श्री को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली।

18/11/21

पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जयपुर